संख्या- 66/2015/1540/22-4-14-48(28)/08

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-17 मार्च, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, कासगंज के निर्माण सम्बन्धी द्वितीय पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिदेशक(प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-36171/नम-1/76(2), दिनांक- 02 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या- 214/22-4-10-48(28)/08, दिनांक 15.02.2010 एवं शासनादेश संख्या-644/22-4-10-48(28)/08, दिनांक 19.06.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन जिला कारागार, कासंगज के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त द्वितीय पुनरीक्षित आगणन, जिसकी अनुमोदित लागत रू0 1,13,14,58,000/-(रूपया एक अरब तेरह करोड़ चौदह लाख अट्ठावन हजार मात्र) है, की सम्यक विचारोपरान्त पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की द्रष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा किय यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय। पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) प्रयोजनान्तर्गत सी0सी0टी0वी0, कन्ट्रोल सिस्टम, डोर मेटल डिटेक्टर, हैण्ड मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे मशीन, गार्ड टूल सिस्टम, यू0पी0एस0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम, किचेन उपकरण एवं फर्नीचर, जेनरेटर सेट, वायरलेस सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम एवं ट्रांसफार्मर इत्यादि कार्यमदें प्रस्तावित की गयी है, जो प्रोपराटरी श्रेणी के कार्य हैं, जिनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिरीक्षक कारागार से यह अपेक्षा है कि निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर ही किया जाय।

(5) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.7.14 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.8.14 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) आगणन का परीक्षण प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010 एवं प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.02.2013 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

3- प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से पूर्व स्वीकृत/अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाय, ताकि द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सके।

4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-169/दस-2015, दिनांक-13 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-66/2015/1540(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम,लि0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कासंगज।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in